सरकार बनाम भीमसिंह
नियमित फौ0प्र0 सं. 23/1099/23 (477/2015)
निर्णय दिनांक : 04.05.2026

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार, आर0जे0एस0
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23/1099/23 (477/2015)
सीआईएस संख्या : 2166/2015

राजस्थान राज्य ब ना म भीमसिंह

अपराध अन्तर्गत धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता

भाग प्रथम
क

परिवादी	धूणीलाल पुत्र नत्थुराम निवासी बीसाकाबास देवलीयाली की ढाणी थाना नारायणपुर जिला अलवर राज.
प्रस्तुतकर्ता	श्री सुनील कुमार चौधरी, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. भीमसिंह पुत्र जसराम उम्र 19 साल निवासी उदिया नांगल थाना मुण्डावर जिला अलवर, राज.
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री नरेश शर्मा

ख

कम संख्या	चरण	दिनांक
1.	प्रकरण संस्थित हुआ	21.08.2015
2.	आरोप विरचित कर सुनाया गया	20.10.2015
3.	साक्ष्य अभियोजन खोली गयी	20.10.2015
4.	अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गयी	05.03.2026
5.	परीक्षण अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी	08.04.2026
6.	साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश की गयी	....
7.	बहस अंतिम सुनी गयी	04.05.2026
8.	अंतिम निर्णय	04.05.2026

ग
अभियुक्त का विवरण

क. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण (यदि	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि

						कोई हो तो)	
1.	भीमसिंह				धारा 380 भा.द.सं में दोषसिद्ध		

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ—अभियोजन गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0ड0 1	धूणीलाल	परिवादी/सूचनाकर्ता
पी0ड0 2	मनोज	चश्मदीद/नक्शा मौका
पी0ड0 3	रामचन्द्र	बरामदगी/फर्द गिरफतारी
पी0ड0 4	सचिन	चार्जशीट
पी0ड0 5	रामानंद	अनुसंधानकर्ता

ब—बचाव पक्ष

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स—न्यायालय गवाह

रैंक	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
	—————————	

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ—अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी—1	तहरीरी रिपोर्ट

2.	प्रदर्श पी–2	एफआईआर
3.	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका
4.	प्रदर्श पी–4	फर्द गिरफतारी
5.	प्रदर्श पी–5	फर्द बरामदगी व जब्ती
6.	प्रदर्श पी–6	तस्दीक नक्शा मौका
7.	प्रदर्श पी–7	नक्शा मौका बरामदगी
8.	प्रदर्श पी–8	बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. रामचन्द्र
9.	प्रदर्श पी–9	फर्द इत्तला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम
10	प्रदर्श पी– 10	मजमून रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी– 11	मालखाना रजिस्टर की प्रति

–:: निर्णय ::– **दिनांक : 04.05.2026**

1. यह आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में थानाधिकारी थाना थानागाजी जिला अलवर ने जरिए अभियोजन अधिकारी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर के समक्ष पेश किया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर के आदेश से उक्त प्रकरण की पत्रावली इस न्यायालय में अंतरित होकर प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण का एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी धूणीलाल ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना थानागाजी, अलवर में दिनांक 06.08.2015 को इस आशय की पेश की कि वह रात को अलवर से आ रहा था कि रास्ते में नटनी का बांरा में उसे एक आदमी मिला व उसे रूकवाया तथा कहा कि वह बाहर का है उसके पास किराया नहीं है। वह भूखा है, उसको अपने साथ ट्रेक्टर में बैठा लाया व उसने अपना नाम भीमसिंह योगी निवासी नांगल उदीना बताया था। उसको सुला दिया तथा वह अपनी कमीज खोलकर, रखकर सो गया। उसकी कमीज में मोबाईल स्पाइस सिम नंबर 9636790533 व रूपये 1500 थे जिनको वह रात को चोरी कर ले गया.........इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 170/2015 धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना थानागाजी जिला अलवर में पंजीबद्ध होकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्त भीमसिंह को धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये, तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाए व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए।

5. अभियोजन पक्ष की अनुकूल साक्ष्य के प्रकाश में अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा तथा कथन किया कि वह निर्दोष है। उसे झूंठा फंसाया है।

6. दौराने बहस विद्वान् अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। प्रकरण में गवाहान के बयानों में तनिक मात्र भी आपस में विरोधाभास नहीं है। सभी गवाहान ने एकरूपतापूर्वक अभियोजन कहानी की ताईद की है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। उक्त तर्को के साथ अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दंड से दंडित करने का निवेदन किया तथा अपने तर्को के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

1. Karamjit Singh Vs State (Delhi Administration) AIR 2003 SC 1311
2. Swaran Singh Vs State of Punjab, (2000) SCC 668

7. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता बचाव पक्ष ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध कतई साबित नहीं होता है। चोरी हुए माल की अभियोजन ने कोई विशिष्ट पहचान स्पष्ट नहीं बताई है। ना ही चोरी के माल की पहचान बाबत् शिनाख्तगी की कार्यवाही अनुसंधान के दौरान हुई है। किसी भी गवाह ने अभियुक्त को चोरी करते हुए देखने बाबत् साक्ष्य नहीं दी है। गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास प्रकट हुआ है। उक्त तर्कों के साथ अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. **बहस अंतिम सुनी जाकर उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया गया।** पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह है कि :–

9. **इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–**

(क) क्या अभियुक्त दिनांक 06.08.2015 की मध्य रात्रि किसी समय परिवादी धूणीलाल के रिहायशी मकान देवलाली की ढाणी, बीसाका बास में कमरे के जंगले में रखी शर्ट सहित एक मोबाईल फोन स्पाईस रंग काला एवं

1500 रूपये नकद परिवादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक वहां से हटाकर बनियत चोरी कर ले गया।

(ख) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड के लिए पात्र है ?

10. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह **पी0ड0—1 धूणी लाल** ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 05.08.2015 को वह अलवर से अपना ट्रेक्टर लेकर थानागाजी आ रहा था तो शाम के करीब 7—8 बजे वह नटनी का बांरा के पास पहुंचा तो एक लडका उसे मिला जिसने उससे कहा कि वह गरीब आदमी है, उसके पास किराए के पैसे नहीं है तथा वह भूखा है। उस पर दया करके उसे ट्रेक्टर में बिठाकर रात को हरसाना मोटर्स पर ले आया। साथ—साथ खाना खाया और हरसाना मोटर्स के एक कमरे में दोनों सो गए। उस लडके ने अपना नाम भीमसिंह जोगी निवासी नांगल उडिया का बताया था। वह हाजिर अदालत मुल्जिम को पहचानता है। वह अपनी कमीज निकालकर सो गया। कमीज में उसका एक मोबाईल और 1500 रूपये थे जिनमें एक नोट 1000 रूपये व 100—100 रूपये के 5 नोट थे। सुबह उठा तो उसकी कमीज नहीं मिली, भीमसिंह वहां नहीं मिला। भीमसिंह चोरी करके भाग गया। इस बात की रिपोर्ट सुबह 8—9 बजे उसने थाने में करवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2, मौका मुआयना प्रदर्श पी 3 है। शाम को करीब 3—4 बजे ढिगारिया नदी के पास जयपुर रोड पर पुलिस ने मुल्जिम भीमसिंह को पकड लिया था। भीमसिंह से उसकी कमीज, मोबाईल व पैसे बरामद हो गये थे। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4, फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5, फर्द तस्दीक घ टना स्थल प्रदर्श पी 6, फर्द नक्शा गिरफतारी स्थल प्रदर्श पी 7 होना स्वीकार किया है। जब्तशुदा माल एक प्लास्टिक की थैली में पेश किया जिसमे एक कुर्ता सफेद रंग व एक खाकी लिफाफा जिसमें एक मोबाईल व 1500 रूपये होना लिफाफे पर अंकित है। कमीज पर सील चिट लगी हुई है। लिफाफा व कमीज पर मुकदमा संख्या 170/15 अंकित है। कुर्ता आर्टिकल 1, मोबाईल आर्टिकल 2 और रूपये आर्टिकल 3 है। **बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिरक्षा में** गवाह ने कथन किया हैं कि कुर्ता आर्टिकल 1 की चिट पर थाने का नाम लिखा नहीं है ना ही आर्टिकल 2 व 3 पर है और ना ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर है और ना ही मोहर लगी हुई है। यह सही है कि उसने भीमसिंह को कुर्ता ले जाते हुए नहीं देखा। सुबह 07.00—07.30 बजे वह उठा तो उसका कुर्ता नहीं मिला। यह सही है कि मुल्जिम सीधा—सादा है। वह पुलिस के साथ गया था उसके सामने सामान जब्त किया था। वह रात को या सुबह कितने बजे निकला वह सुबह उठा तब मालूम पडा। सुबह 06.00—06.30 बजे निकला है। नक्शा मौका घटना के दिन 09—10 बजे बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 में समय अंकित नही है। भीमसिंह पागल व्यक्ति नहीं लगता। एफआईआर में कितने—कितने के नोट थे यह लिखा हुआ नहीं है। वह नक्शा मौका के बारे में समझता है। हरसाना मोटर्स का

मुंह पश्चिम दिशा में है, उसका मुह उत्तर दिशा में नहीं है। यह कहना गलत है कि उसका मोबाईल व रूपये चोरी नहीं हुए हो और उसने झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई हो।

11. **गवाह पी0ड0 2 मनोज** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह हरसाना मोटर्स थानागाजी में ट्रेक्टर मिस्त्री का काम करता है। दिनांक 05.08.2015 को धूणीलाल 8–9 बजे रात को ट्रेक्टर लेकर आया था। उसके साथ एक लडका आया था जो आज हाजिर अदालत है जिसे वह पहचानता है। धूणीलाल व साथ में आया लडका उनके यहां हरसाना मोटर्स पर खाना खा कर दोनों कमरे में सो रहे थे। खाना खाते समय उसने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम भीमसिंह जोगी नांगल उडिया का बताया था। दिनांक 06.08.2015 को धूणीलाल उठा तो उसने बताया कि उसकी कमीज भीमसिंह चुराकर ले गया। कमीज में 1500 रूपये और एक स्पाईस का मोबाईल था। धूणीलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। नक्शा मौका पुलिस ने घटना स्थल का बनाया था। भीमसिंह को पुलिस ने ढिगारिया नदी के पास जयपुर रोड पर पकड लिया था और धूणीलाल का चोरी हुआ सामान रूपये, कमीज, मोबाईल बरामद कर लिये थे। बरामदगी स्थल, गिरफतारी स्थल का नक्शा मौका बनाया था। मुल्जिम ने घटना स्थल को तस्दीक रवाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, नक्शा घटना तस्दीक प्रदर्श पी 6, नक्शा मौका गिरफतारी स्थल, बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 7 होना स्वीकार किया है। कुर्ता आर्टिकल 1, मोबाईल आर्टिकल 2, रूपये 1500 आर्टिकल 3 है जो पुलिस ने मुल्जिम से बरामद किये थे। **बचाव पक्ष द्वारा किए गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया कि आर्टिकल 1, 2, 3 पर ना तो थाने का नाम है और ना ही किसी थाने की मोहर है और ना ही किसी जांच अधिकारी के हस्ताक्षर है। उसने उपरोक्त रूपये जब बरामद हुए तब देखे थे, उससे पहले नहीं देखे थे। पुलिस ने रूपये लाकर उनको दिखाये थे। मुल्जिम को पुलिस ने उनके सामने शाम को 04.00 बजे पकडा था। धूणीलाल हरसाना मोटर्स पर कभी कभी रूक जाता है। वह भीमसिंह को पहले से नहीं जानता था। धूणीलाल साथ लेकर आया तब उसने उसके बारे में पूछा था। वह सुबह 05.30–06.00 बजे उठा था। जब वह उठा उस समय भीमसिंह नहीं था। वह फ्रेश होने गया तब तक उसे चोरी के बारे में मालूम नहीं था। वह उठा तब तक कोई नहीं उठा था। पुलिस ने मोबाईल, रूपये भीमसिंह से बरामद किये थे। यह बात सही है कि ढिगारिया नदी के पास काफी वाहन आते जाते है। वह किशनगढ तहसील में नांगल उडिया का रहने वाला है। वह 3–4 साल से थानागाजी में काम कर रहा है। धूणीलाल से उसकी मुलाकात है। मोबाईल धूणीलाल का है वह तो धूणीलाल के बताने से कह रहा है। वह नक्शे मौके के बारे में नहीं समझता। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। उसमें क्या लिखा था उसे नहीं पता। प्रदर्श पी 6, प्रदर्श पी 7 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये, उनमें क्या लिखा था उसे नहीं पता।

12. **गवाह पी0ड0 3 रामचन्द्र** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसने 2015 में अपना ट्रेक्टर हरसाना मोटर्स में लगा रखा था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 4 व फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 5 होना स्वीकार किया है। **जिस पर अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाकर की गई जिरह में** गवाह ने कथन किया कि दिनांक 05.08.2015 को धूणीलाल के साथ एक लडका हरसाना मोटर्स पर आया हो तो उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि उसने उस लडके का नाम पूछा हो ओर उसने अपना नाम भीमसिंह बताया हो। धूणीलाल का कमीज, मोबाईल, 1500 रूपये चोरी हुए हो तो उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि उसके सामने भीमसिंह को पुलिस ने गिरफतार किया हो तथा यह कहना गलत है कि पुलिस ने उसके सामने भीमसिंह से एक कुर्ता, मोबाईल व पैसे बरामद किये हो। यह कहना गलत है कि उसके सामने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना कथन किया। **बचाव पक्ष द्वारा किए गये प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी 3, प्रदर्श पी 5 व प्रदर्श पी 7 पर पुलिस और धूणीलाल ने खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसने मुल्जिम भीमसिंह को मौके पर नहीं देखा। उसके सामने पुलिस ने कोई कमीज, पैसे जब्त नहीं किये। उसके सामने पुलिस ने मुल्जिम को गिरफतार भी नहीं किया। यह बात सही है कि भीमसिंह बाहर का आदमी था और धूणीलाल ने झूंठा नाम लगा दिया होगा। उस रात करीब 50 आदमी आए थे। यह सही है कि उसके सामने कोई चोरी नहीं हुई।

13. **गवाह पी0ड0 4 सचिन** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 06.08.2015 को पुलिस थाना थानागाजी में एसएचओ के पद पर तैनात था। उस दिन परिवादी धूणीलाल ने उपस्थित थाना होकर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पेश की थी। जिस पर उसके द्वारा एफआईआर संख्या 170/15 अंतर्गत धारा 380 भा.द.सं. में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान हेतु पत्रावली रामानंद एसआई के सुपुर्द की थी। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है। बाद अनुसंधान रामानंद एसआई ने मुल्जिम भीमसिंह के विरूद्ध अपराध धारा 380 भा.द.सं. में प्रमाणित मानकर पत्रावली उसके समक्ष पेश की। उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर तथा अनुसंधान से संतुष्ट होकर उक्त मुल्जिम के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की। **बचाव पक्ष द्वारा किए गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने** कथन किया कि प्रकरण में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि मुल्जिम के विरूद्ध गलत चार्जशीट पेश की हो।

14. **गवाह पी0ड0 5 रामानंद** ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह अक्सर बीमार रहता है, सुनने, दिखने व चलने फिरने में परेशानी है। याददास्त कमजोर हो गई है। दिनांक 06.08.2015 को वह पुलिस थाना थानागाजी में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ सचिन शर्मा ने मुकदमा संख्या 170/15 की

पत्रावली वास्ते अनुसंधान उसके जिम्मे की थी। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान धूणीलाल, मनोज, रामन्द्र के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये थे। घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाया था जिसकी पुश्त पर हालात मौका है। मुल्जिम भीमसिंह को जरिये फर्द प्रदर्श पी 4 गिरफतर किया तथा उसके कब्जे से एक स्पाईस का मोबाईल पुराना इस्तेमाली, एक सफेद कमीज पुरानी इस्तेमाली और 1500 रूपये नकद जिनमें 1000 रूपये का एक नोट और 100–100 रूपये के 5 नोट को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 बरामद किया था तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 भीमसिंह की निशादेही से बनाया था। उसी दिन मुल्जिम भीमसिंह ने पास बुलाकर आईओ को स्वेच्छया इत्तला दी कि जहां से उसने मोबाईल, कमीज और रूपयो को चोरी किया था वह जगह वह साथ चलकर बता सकता है। फर्द इत्तला प्रदर्श पी 9 है। मुल्जिम की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 बनाया था। उसकी नकल रपट रवानगी प्रदर्श पी 10 है। उसने भीमसिंह के कब्जे से बरामदशुदा माल जमा मालखाना करवाया था जिसका इन्द्राज एचएम मालखाना ने मालखाना रजिस्टर की मद संख्या 265 पर किया था। रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 11 है। बाद अनुसंधान मुल्जिम भीमसिंह पुत्र जसराम उम्र 19 साल निवासी उदिया नांगल थाना मुण्डावर के विरूद्ध अपराध धारा 380 भा.द.सं. का प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही एसएचओ साहब को सुपुर्द की थी। एसएचओ साहब ने मुल्जिम के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। **बचाव पक्ष द्वारा किए गये प्रतिपरीक्षण में गवाह ने** कथन किया कि ना तो उसके सामने आज अदालत हाजा तें बरामदशुदा पैसे, कमीज और मोबाईल नहीं है। उसने तीन गवाहो के बयान लिये थे जो एफआईआर दर्ज हुई उसी दिन लिये थे। उसने पहले मुस्तगिस के बयान लिये उसके बाद गवाहो के बयान लिये थे। गवाहो के नाम याद नहीं है। गवाहो के बयान कितने बजे लिये थे समय नहीं बता सकता। उसने मुल्जिम को सवा चार बजे गिरफतार किया था। फर्द इत्तला प्रदर्श पी 9 उसने भीमसिंह के कहे अनुसार लिखी थी। यह बात सही है कि फर्द इत्तला व उसके हस्ताक्षर अलग अलग पेन से लिखे थे। फर्द इत्तला प्रदर्श पी 9 किसी ओर के द्वारा लिखी गई हो तो वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी 9 देखकर नहीं बता सकता कि किसके द्वारा लिखी गई है क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। यह बात सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3, प्रदर्श पी 4 गिरफतारी, प्रदर्श पी 5 बरामदगी, प्रदर्श पी 6 तस्दीक नक्शा पर किस किसके हस्ताक्षर कहां कहां है। वह फर्द देखकर नहीं बता सकता क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। यह कहना गलत है कि मुल्जिम भीमसिंह के कब्जे से चोरी का माल बरामद नहीं हुआ हो और परिवादी से मिलकर उसको झूंठा फंसाया हो।

15. **अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया।** प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 380 भारतीय दंड

संहिता के तहत अपराध का आरोप है जिसको साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से कुल 5 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है।

16. प्रकरण में प्रदर्श पी 1 तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक घटना का कुछ इस प्रकार घटित होना दर्शित है कि परिवादी धुणीलाल के रात को अलवर से आते वक्त रास्ते में नटनी का बांरा में एक आदमी मिलता है जो कि स्वयं को भूखा होना तथा अपना नाम भीमसिंह होना जाहिर करता है। जिसे परिवादी अपने साथ ट्रेक्टर में बैठाकर ले आता है तथा रात को भीमसिंह परिवादी के घर पर सो जाता है। परिवादी भी अपनी कमीज खोलकर सोता है। उसकी कमीज में मोबाईल स्पाइस सिम नंबर 9636790533 व रूपये 1500 रूपये रखे होते है जिसको अभियुक्त रात को चोरी कर ले जाता है। उक्त अभियोजन कहानी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज होना दर्शित होता है।

17. इस संबंध में प्रकरण में आई मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य का विश्लेषण किया जाए तो प्रकरण में गवाह पी0ड0 1 धुणीलाल ने तहरीरी रिपोर्ट में वर्णित कथनानुसार अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हुए अदालत में उपस्थित मुल्जिम को पहचानने में समर्थता जाहिर की है तथा स्पष्ट जाहिर किया है कि सुबह जब वह उठा तो उसकी कमीज नहीं मिली और भीमसिंह भी नहीं मिला जिसे वह चोरी कर ले गया था। जिसे पुलिस ने ढिगारिया नदी के पास जयपुर रोड पर गिरफतार कर लिया था और भीमसिंह से उसकी कमीज, मोबाईल व पैसे बरामद किये थे। इसके अतिरिक्त इस गवाह ने अंवीक्षा के दौरान प्रस्तुत प्लास्टिक की थैली में रखे सफेद कुर्ता व एक खाकी लिफाफा जिसमें एक मोबाईल व 1500 रूपये को देखकर पहचान करते हुए अपने स्वयं का होना जाहिर किया है। जिरह में हालांकि इस गवाह ने इन बातो को स्वीकार किया है कि आर्टिकल 1, 2 व 3 पर थाने का नाम नहीं है और ना ही किसी अधिकारी के हस्ताक्षर है और ना ही थाने की मोहर लगी हुई है। परंतु आगे गवाह ने बचाव पक्ष की जिरह में इस बात को गलत होना बताया है कि भीमसिंह पागल व्यक्ति है। **इस प्रकार इस गवाह के बयानो से स्पष्ट होता है कि जब्त माल जिस थैली में रखा गया था उस पर थाने का नाम, किसी अधिकारी के हस्ताक्षर या थाने की मोहर लगी हुई नहीं है।** इसके अतिरिक्त गवाह पी0ड0 3 रामचंद्र ने हालांकि पक्षद्रोही होते हुए स्पष्ट कहा है कि उसके सामने ना तो कार्यवाही हुई, ना ही चोरी हुई और ना ही कुर्ता, मोबाईल, पैसे बरामद हुई। परंतु इस गवाह ने प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 5 फर्द बरामदगी व जब्ती व प्रदर्श पी 7 नक्शा मौका बरामदगी स्थल पर अपने हस्ताक्षर नहीं हो, ऐसे कथन नहीं किये है। मात्र बोला है कि उसके खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। इसके अतिरिक्त गवाह पी0ड0 2 मनोज प्रकरण में स्वतंत्र गवाह होना दर्शित है। जिसने इस बात की ताईद की है कि दिनांक 05.08.2015 को 8–9 बजे धुणीलाल ट्रेक्टर लेकर आया था जिसके साथ एक लडका आया था जिसने अपना नाम भीमसिंह

बताया था और उसने घर पर खाना भी खाया था। इसके अतिरिक्त इस गवाह ने धुणीलाल द्वारा उसकी कमीज, कमीज में रखे 1500 रूपये व एक स्पाईस का मोबाईल का चोरी होना भी उसके द्वारा बताये जाने की साक्ष्य दी है। जिरह में भी इस गवाह ने स्पष्ट कहा है कि जब रूपये बरामद हुए तब उसने देखा था और पुलिस ने उनके सामने मुल्जिम को पकडा था। इसके अतिरिक्त इस गवाह ने इस बात को भी स्पष्ट कहा है कि वह सुबह 05.30–06.00 बजे उठा तब भीमसिंह वहां नहीं था। तथा मुल्जिम भीमसिंह से मोबाईल, रूपये पुलिस ने बरामद किये थे। जिसका खण्डन इस गवाह की जिरह में नहीं हुआ है। **इस प्रकार इस गवाह ने अपने बयानो से अखण्डित रहते हुए इस बात की स्पष्ट ताईद की है कि उसके सामने मुल्जिम को गिरफतार किया गया था और मुल्जिम से रूपये व मोबाईल बरामद हुए थे।** इसके अतिरिक्त अनुसंधान अधिकारी गवाह पी0ड0 5 रामानंद के बयानो को देखा जाए तो इस गवाह ने भी स्पष्ट कहा है कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसी दिन बयान ले लिये थे और फर्द इत्तला प्रदर्श पी 9 भी मुल्जिम भीमसिंह के कहे अनुसार लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त इस गवाह ने इस कथन को गलत होना बताया है कि कोई चोरी नहीं हुई हो और मुल्जिम भीमसिंह से चोरी का माल बरामद नहीं हुआ हो। इसके अतिरिक्त गवाह पी0ड0 4 सचिन अभियुक्त भीमसिंह के विरूद्ध धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध में चार्जशीट पेश करने की ताईद करता है।

18. इस प्रकर प्रकरण में देखा जाए तो प्रकरण में परिवादी धूणीलाल के घर से उसका शर्ट व शर्ट में रखे मोबाईल व 1500 रूपये के चोरी होने में कोई संदेह प्रकट नहीं होता है। इसके अतिरिक्त फर्द जब्ती माल प्रदर्श पी 5 के गवाह स्वयं परिवादी धुणीलाल पी0ड0 1 के अनुसार उसके सामने मुल्जिम से उसका मोबाईल, कुर्ता, पैसे पुलिस ने बरामद किये थे। जिसकी ताईद प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पी0ड0 2 मनोज ने अपने बयान से की है। जिसने घटना की दिनांक 05.08.2015 को मुल्जिम भीमसिंह का परिवादी के घर होना और स्वयं का भी वहां पर होने की साक्ष्य दी है। जिसका खण्डन नहीं हुआ है। तथा इस बात का भी खण्डन इस गवाह की जिरह में नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने परिवादी के घर पर खाना खाया था और सुबह परिवादी का कमीज, कमीज में रखे हुए मोबाईल व रूपये परिवादी को नहीं मिले थे। इस संबंध में हालांकि इस गवाह ने ऐसा जाहिर नहीं किया है कि किसी ने मुल्जिम को परिवादी की कमीज को चोरी करते हुए देखा हो और परिवादी स्वयं ने भी मुल्जिम को चोरी करते हुए देखा हो, ऐसा भी प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) ही यहां न्यायालय के समक्ष रह जाती है और प्रकरण में मुल्जिम से परिवादी के सामान की बरामदगी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संबंध में साक्ष्य का विश्लेशण करने पर प्रकट होता है कि प्रकरण में मुल्जिम भीमसिंह सुबह बिना बताये परिवादी के घर से चला गया था, जो कि इस प्रश्न को पैदा करता

है कि मुल्जिम परिवादी को बिना बताये क्यों गया, जबकि परिवादी ने उसको सोने के लिए जगह व खाने के लिए भोजन दिया था। दूसरी तरफ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादी मुल्जिम को पहने से जानता हो, ऐसी साक्ष्य भी पत्रावली पर नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई रंजिश परिवादी की मुल्जिम से रही हो ऐसा भी दर्शित नहीं है। **ऐसे में परिवादी द्वारा अभियुक्त को मामलें में झूंठा फंसाये जाने की संभावना भी नजर नहीं आती है।** यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में हालांकि अनुसंधान के दौरान एक कमीज, मोबाईल, रूपये जब्त किये गये है, परंतु जब्त सामान के संबंध में शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं करवाई गई है। जो कि अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। **परंतु यहां न्यायालय को देखना होगा कि क्या प्रकरण में जब्त माल की शिनाख्तगी नहीं होना अभियोजन की कहानी को विफल करती है ?** इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में स्वतंत्र गवाह मनोज पी0ड0 2 ने घटना की पूर्ण रूप ताईद करते हुए मुल्जिम को पुलिस द्वारा उसके सामने गिरफतार किया जाना और गिरफतारी के समय कमीज, मोबाईल व रूपये बरामद होना बताया है। जिनका खण्डन बचाव पक्ष इस गवाह की जिरह में नहीं कर सका है। जो कि यह स्पष्ट करता है कि वक्त घटना मुल्जिम से कमीज, पैसे व रूपये जब्त हुए थे।

19. **अब प्रश्न यह आता है कि यदि प्रकरण में जब्त मोबाईल, कमीज व पैसे परिवादी के नहीं है तो किसके है ?** यह साबित करने का भार अभियुक्त स्वयं पर था, क्योंकि इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(क) में प्रावधान है कि **चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है।** यहां प्रकरण में घटना के अगले दिन ही मुल्जिम को गिरफतार किया गया है और उससे कमीज, मोबाईल स्पाईस व 1500 रूपये की जब्ती साबित है। जिसको बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 7 के गवाह मनोज पी0ड0 2 ने इस पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हुए साबित किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाहो के बयानो से यह बात स्पष्ट है कि अभियुक्त ने उन्हें बताया था कि उसके पास पैसे नहीं है और वह भूखा है। तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास 1500 रूपये कहां से आए, इसे साबित करने का भार स्वयं अभियुक्त पर था। परंतु बचाव पक्ष ने ना ही तो अभियोजन गवाहान से ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा है जो कि यह साबित करें कि जो सामान जब्त हुआ है वह मुल्जिम स्वयं का हो, या ऐसा सामान बाजार में आसानी से मिल जाता हो। यदि यह सामान मुल्जिम का था तो उसके पास कहां से आया, किससे से आया यह साबित करने का दायित्व स्वयं मुल्जिम का था। जिस दायित्व का निर्वहन करने में अभियुक्त विफल रहा है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस बचाव पक्ष का यह तर्क रहा है कि फर्द जब्ती आर्टिकल 1, 2 व 3 पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर, थाने की मोहर, थाने का नाम अंकित नहीं है। जो कि अभियोजन कहानी को

अविश्वनीय बनाता है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रकरण में जब्त माल पर थाने की मोहर व हस्ताक्षर नहीं होना निश्चित रूप से फर्द जब्ती पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में स्वतंत्र गवाह मनोज पी0ड0 1 व परिवादी स्वयं धूणीलाल पी0ड0 1 के बयान जिरह में अखण्डित रहे है और स्वतंत्र गवाह मनोज ने मुल्जिम से माल के बरामद होने की पुष्टि की है। जिसे परिवादी ने न्यायालय के समक्ष पहचाना है और स्वयं का होना बताया है। जिसके संबंध में अभियुक्त माल का स्वयं का होना साबित करने में असफल रहा है। **ऐसे में बचाव पक्ष का उक्त उज्र महत्वपूर्ण होते हुए भी अभियोजन कहानी की विश्वसनीयता को तात्विक रूप से खण्डित करने में कोई खासा मदद प्रदान नहीं करता है।**

20. इस प्रकार प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां यह स्पष्ट करती है कि मुल्जिम ने घना की दिनांक को स्वयं को भूखा होना व रूपये नहीं होना बताते हुए परिवादी के घर पर शरण ली थी और उसने रात को खाया था और वह सुबह परिवादी को बिना बताए वहां से चला गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence) के संबंध में यह सुस्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य तभी स्वीकार है कि **जब वह पूरी तरह विश्वसनीय हो एवं सभी परिस्थिति आपस में जुडी हो और कोई कडी टूटे नही तथा सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य सिर्फ अभियुक्त की दोष की ओर इशारा करें, अन्य कोई संभावना की गुंजाईश नहीं हो। इसके अतिरिक्त इस संबंध में यह भी देखना आवश्यक है कि अभियुक्त की चोरी के स्थान पर पहुंच थी या नहीं तथा अपराध का हेतुक और अभियुक्त का संदेहास्पद व्यवहार भी प्रकट होना चाहिए।** उक्त सुस्थापित स्थिति के प्रकाश में देखे तो अभियुक्त परिवादी के घर पर स्वयं को भूखा होना व पैसे नहीं होना बताकर आया था और परिवादी के घर पर पहुंच स्थापित की थी तथा परिवादी के घर पर खाना खाकर परिवादी व अभियुक्त घर में सोया था तथा परिवादी अपनी कमीज को टांगकर सोया था तथा सुबह जब परिवादी उठा तो अभियुक्त वहां नहीं मिला और परिवादी की कमीज सहित मोबाईल, रूपये गायब थे। ऐसे में परिस्थितियां शुरू से लेकर अंत तक जुडी नजर आती है और यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त को परिवादी की कमीज, मोबाईल व पैसे को चोरी करने का अवसर उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभियुक्त बिना बताए परिवादी के घर से चला गया। जबकि सामान्य परिस्थिति में देखे तो कोई भी व्यक्ति जिसको कोई व्यक्ति शरण दे, भोजन दे वो बिना बताए शरण देने वाले व्यक्ति के घर से नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का बिना बताये परिवादी के घर से चला जाना अभियुक्त के संदेहास्पद व्यवहार को प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में उक्त परिस्थितिक साक्ष्य की ताईद में स्वंतत्र गवाह मनोज पी0ड0 2 के भी बयान न्यायालय के समक्ष है। जिसमें इस गवाह ने मुल्जिम को उसके सामने गिरफतार होना और उसकी गिरफतारी के समय पैसे, मोबाईल, कमीज की बरामदगी

होना बताया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने उक्त सामान उसके पास कहां से आया व सामान उसका है, इस बारे में कोई स्थति नहीं रखी है। जिस कारण अभियोजन की साक्ष्य एवं धारा 114(a) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है।

21. इस प्रकार प्रकरण में उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रामाणित करने में सफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त पर आरोपित अपराध की ***अभियुक्त दिनांक 06.08.2015 की मध्य रात्रि किसी समय परिवादी धूणीलाल के रिहायशी मकान देवलाली की ढाणी, बीसाका बास में कमरे के जंगले में रखी शर्ट सहित एक मोबाईल फोन स्पाईस रंग काला एवं 1500 रूपये नकद परिवादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक वहां से हटाकर बनियत चोरी कर ले गया,*** *युक्तियुक्त संदह से परे प्रमाणित करने में अभियोजन पक्ष सफल रहा है।* अतः अभियुक्त को धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

22. परिणामतः अभियुक्त भीमसिंह पुत्र जसराम उम्र 19 साल निवासी उदिया नांगल थाना मुण्डावर जिला अलवर, राज. को धारा 380 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

:: <u>सजा के प्रश्न पर</u> ::

23. सजा के प्रश्न पर सुना गया। परिवीक्षा की संभावनाओं पर विचार किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया है कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा उसके द्वारा छोटा अपराध किया गया है। पत्रावली पर पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य अवस्थित नहीं है। अभियुक्त सन् 2015 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

24. इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किए जाने निवेदन किया।

25. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। प्रकरण में अभियुक्त ने जाहिर किया है कि उसका यह प्रथम अपराध है और उसने भूखा होने, पैसा नहीं होने से मजबूरीवश ऐसा अपराध कारित किया है। पूर्व में अपराधिक रिकोर्ड नहीं होने एवं अपराधी परीविक्षा

अधिनियम का पूर्व में लाभ नहीं लिये जाने बाबत् शपथ पत्र भी पृथक से पेश किया है तथा वक्त घटना 19 वर्ष का होना भी जाहिर किया है। इसके अतिरिक्त आज न्यायालय के समक्ष पैर में फ्रेक्चर होने के संबंध में चिकित्सीय दस्तावेज पेश किये है। इसके अतिरिक्त घर में अकेला कमाने वाला होना जाहिर किया है। अतः उक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं प्रकरण में हुए माल की चोरी तथा जिन परिस्थितियों में चोरी का अपराध कारित किया गया, को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय अभियुक्त को दण्डित करने के बजाए सुधरने का अवसर दिया जाना उचित पाता है। अतः प्रकरण में अभियुक्त को तुरंत सजा से दण्डित नहीं कर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर अभियुक्त पर अभियोजन व्यय अधिरोपित करना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

26. परिणामतः अभियुक्त भीमसिंह पुत्र जसराम उम्र 19 साल निवासी उदिया नांगल थाना मुण्डावर जिला अलवर, राज. को धारा 380 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के आरोप में की गई दोषसिद्धी में अपराधी परीवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त 25 हजार रूपए की जमानत व इसी राशि के स्वंय के बंधपत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तो के साथ पेश कर तस्दीक करा देवें कि उक्त अवधि के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, सदाचारी बना रहेगा व न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर दण्ड भुगतने हेतु उपस्थित आवेगा, तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ा जावें। इसके साथ ही धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त पर **1000/— रूपये कुल 1000/— रूपये** अभियोजन व्यय की राशि अधिरोपित की जाती है।

27. प्रकरण में जब्तशुदा माल आर्टिकल बाद गुजरने मियाद अपील प्रार्थी परिवादी को नियमानुसार लौटाया जावे।

28. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते है।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर

29. निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया गया।

(मनोज कुमार)
अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
थानागाजी, अलवर